Au Heads
9/6/19

# समाहरणालय मुजफ्फरपुर

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

*********

दूरभाष संख्या : 0621-2212101 [का.]
0621-2212105 [आ.] 2217285 [फै.]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

## श्री आलोक रंजन घोष, भा.प्र.से. जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित दिनांक 19.06.2019 को ए0ई0एस0 / चमकी बुखार की रोकथाम एवं बचाव से संबंधित जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

---

उपस्थिति : यथा पंजी संधारित।

1. दिनांक 19.06.2019 को जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में ए.ई.एस./ चमकी बुखार की रोकथाम एवं बचाव से संबंधित जिलास्तरीय सभी पदाधिकारियों/प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारियों/स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों एवं संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के क्रम में उपस्थित पदाधिकारियों को जानकारी दी गई कि जिले में ए0ई0एस0 / चमकी बुखार बीमारी को लेकर आपात स्थिति बनी हुई है, जिसमें सभी पदाधिकारियों को इसके रोकथाम एवं बचाव हेतु सभी प्रकार की प्रारंभिक सावधानी एवं तत्परता तथा युद्धस्तर पर कार्य किया जाना बहुत जरूरी है। प्रभावितों को जितनी जल्दी चिकित्सकीय उपचार प्राप्त हो जाए उतना अधिक बेहतर होता है। विलंब होने की स्थिति में ए0ई0एस0 प्रभावित मरीजों के शरीर में ग्लुकोज/ब्लड सुगर की एकाएक अत्यधिक कमी हो जाती है तथा उन पर दवा का प्रभाव धीरे–धीरे कम होने लगता है। इस प्रकार हाईपोग्लेसीमिया की स्थिति में मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जताा है तथा मरीज के शरी में ऐंठन, मरोड़, चमकी, दांत किटकिटाना जैसे लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि जिले में अभी तक इस बीमारी से अप्रत्याशित बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है तथा इसे नियंत्रण करने हेतु हम सब को मिल जुलकर यृद्धस्तर पर कार्य करना होगा। अत्यधिक प्रभावित प्रखण्डों में मीनापुर, कांटी, मुशहरी, मोतीपुर एवं बोचहां है जहां से ज्यादातर मरीजों का पंजीकरण एस0के0एम0सी0एच0 एवं केजरीवाल अस्पताल में अभी तक हुआ है। यह भी जानकारी दी गई कि जिन बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है उन बच्चों में उक्त बीमारी का असर अधिक परिलक्षित होता है।

2. उपस्थित सभी पदाधिकारियों को जानकारी दी गई कि ए0ई0एस0 / चमकी बुखार से मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4–4 लाख रूपये सहायता राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अभी तक अधिकांश पीड़ित परिवारों को सहायता राशि चेक के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है तथा शेष परिवारों को भी आज संध्या तक चेक के माध्यम से सहायता राशि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए। विदित हो कि चेक तैयार है बस पीड़ित परिवारों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

3. जिलास्तरीय सभी पदाधिकारियों/प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारियों एवं ए0ई0एस0/ चमकी बुखार के प्रकोप से बचाव एवं रोकथाम हेतु गठित टीम के पदाधिकारियों एवं सभी परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्त्ताओं तथा चिकित्सा पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि आज से लेकर अगले 10 दिनों अर्थात दिनांक 28.06.2019 तक सभी पदाधिकारियों का मुख्यालय

Sri Krishna Medical College Muz.
Letter No:- 7057/19
Date:- 21/6/19
Receiver Sign

निर्धारित/सम्बद्ध प्रखण्ड मुख्यालय में रहेगा। प्रखण्डस्तरीय सभी पदाधिकारी/पर्यवेक्षीय पदाधिकारी गठित टीम में वरीय पदाधिकारी के अधीन अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहनक करेंगे। साथ ही उन्हें निदेशित किया जाता है कि प्रतिदिन अपने प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न प्रभावित पंचायतों का संयुक्त रूप से भ्रमण करेंगे। भ्रमण के क्रम में स्थानीय समुदाय को ए.ई.एस./चमकी बुखार की पहचान एवं इसके लक्षण, बीमारी से बाचाव हेतु सामान्य उपाय एवं सावधानियां, पीड़ित बच्चों की पहचान होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एवं अन्य सतर्कतामूलक उपायों आदि के संबंध में अवगत कराते हुए उन्हें जागरूक करने की कार्रवाई करेंगे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिनियुक्त अवधि के दौरान संबंधित पदाधिकारी संबद्ध प्रखंड मुख्यालय में ही प्रवास करेंगे। प्रवास के संबंध में आवश्यक व्यवस्था संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। तत्काल प्रभाव से स्थिति से निबटने हेतु सभी पदाधिकारियों के सभी प्रकार का अवकाश रद्द किया जाता है।

4. ए0ई0एस0 के प्रकोप से बचाव एवं रोकथाम हेतु गठित टीम के प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने प्रखंड में प्रखंडस्तरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों के साथ आंगनवाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम. के दल का गठन करते हुए सघन रूप से क्षेत्र का भ्रमण करने हेतु निदेशित करते हुए उनके कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे। पर्यवेक्षीय दल के द्वारा निम्न प्रकार अपेक्षित कार्रवाई किया जाएगा :–

1. ए.ई.एस. बीमारी से ग्रसित होने वाले बच्चों का चिन्हीकरण।

2. ए.ई.एस. के लक्षण वाले बच्चों को चिन्हित करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उच्च स्वास्थ्य केन्द्र भेजा जाना। (Active Case Search)

3. प्रतिदिन घर–घर जाकर ए.ई.एस. ग्रसित बच्चों का पड़ताल करना, ए.ई.एस. के लक्षणों एवं बचाव के उपाय बताना।

4. ओ.आर.एस./ग्लूकोज पैकेट का वितरण करना।

5. पम्फलेट/लिफलेट एवं हैंडबिल का वितरण सुनिश्चित किया जाना।

6. प्रतिदिन संध्या 05.00 बजे संबंधित प्रतिनियुक्त प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को स्वहस्ताक्षरित को अचूक रूप से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना।

5. वैसे प्रशासनिक पदाधिकारियों जिनके पास विभागीय वाहन उपलब्ध नहीं है, उन्हें जिला नजारत उप समाहर्ता, मुजफ्फरपुर के द्वारा तथा चिकित्सा पदाधिकारियों को जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा ईंधन सहित वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर एवं जिला नजारत उप समाहर्ता, मुजफ्फरपुर इसे सुनिश्चित करायेंगे।

6. ए0ई0एस0 के प्रकोप से बचाव एवं रोकथाम हेतु प्रतिनियुक्त दल के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने प्रखंड क्षेत्र अन्तर्गत प्रतिदिन के गतिविधियों का प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया जाता है कि वे प्रतिदिन ए0ई0एस0 से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन को समेकित करते हुए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।

7. जिलास्तर के वरीय पदाधिकारियों एवं ए0ई0एस0 के प्रकोप से बचाव एवं रोकथाम हेतु प्रतिनियुक्त दल के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड में उपलब्ध मानवबल के माध्यम से उक्त प्रखण्ड के सभी प्रभावित घरों का एक–एक कर **आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण** करायेंगे तथा निर्धारित **प्रश्नावली (Questionnaire)** के सभी स्तम्भों में भलीभांति वांछित जानकारियाँ अंकित करायेंगे। इसमें बच्चों के खान–पान, रहन–सहन, परिवेश आदि के अलावा सभी मूलभूत आवश्यक सूचनायों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। उक्त **प्रश्नावली (Questionnaire)** के आलोक में परिवार के सदस्यों से यह भी पृच्छा की जाएगी कि पीड़ित बच्चा पिछले रात्रि को खाना खाया या नहीं, यदि खाना नहीं खाया तो क्या उस परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी जो खाना खिलाने में सक्षम नहीं थे, क्या उनके पास राशन कार्ड है, यदि है तो क्या उन्होंने इस माह राशन का उठाव किया है अथवा नहीं, यदि पीड़ित का घर कच्चा है तो उसे इंदिरा आवास का लाभ मिला है या नहीं आदि–आदि।

8. जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका को निदेश दिया गया कि जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर से ए0ई0एस0 से प्रभावित परिवारों की सूची प्राप्त कर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों के माध्यम से सर्वेक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा विहित प्रपत्र में सभी आवश्यक जानकारियाँ दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करायेंगे।

9. ए0ई0एस0 के प्रकोप से बचाव एवं रोकथाम हेतु प्रतिनियुक्त दल के पदाधिकारियों को एवं उपस्थित सभी पदाधिकारियों को जानकारी दी गई कि ए0ई0एस0/चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों का हाईपोग्लेसिमिया के चलते रक्त सर्करा (Blood Suger) का स्तर काफी नीचे चला जाता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित बच्चों के मस्तिष्क की तंत्रिकायें प्रभावित हो जाती है तथा बच्चे अचेत हो जाते हैं। निदेश दिया गया कि प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों/कर्मियों के माध्यम से पंचायत/ग्राम/टोला स्तर पर जाकर लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि रात्रि के समय एवं दिन में बच्चों को भरपेट भोजन करायें, नियमित रूप से पानी पिलाते रहें, मीठा चीज अथवा चीनी के घोल निश्चित रूप से बच्चों को पिलायें। साथ ही उपलब्ध कराये जा रहे ओ0आर0एस0, ग्लुकोज को अनिवार्य रूप से बच्चों को पिलायें, ताकि इस प्रकार को रोग उत्पन्न ही न होने पाये।

10. ए0ई0एस0 के प्रकोप से बचाव एवं रोकथाम हेतु प्रतिनियुक्त दल के पदाधिकारियों को एवं उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि ग्रामीण लोगों को इस बात की जानकारी दी जाए कि यदि बच्चों कि इस प्रकार के रोग का प्रारंभिक लक्षण दिखायी दे तो बिना विलंब किये सबसे पहले नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाकर चिकित्सक की देखरेख में आवश्यक इलाज करायें। साथ ही बच्चों का Blood Suger Level की निश्चित रूप से परीक्षण करायें। यदि रक्त शर्करा स्तर नीचे है तो तुरंत उसे बढ़ाने की कारवाई चिकित्सक के परामर्श के आलोक में करायें।

11. सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24X7 रोस्टर के अनुसार चिकित्सकों/नर्स/चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। सभी जगह सभी अवश्यक दवायें/उपकरण/एम्बुलेंस हमेशा उपलब्ध रहे इसे सुनिश्चित करायेंगे। यह भी निदेश दिया गया कि ए0ई0एस0/चमकी बुखार से पीड़ित यदि किस बच्चे की पहचान होती है तो यह प्रयास होना चाहिए कि प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर ही उसे नियंत्रित किया जाए। आकस्मिकता की स्थिति में ही एस0के0एम0सी0एच0 रेफर करने की कार्रवाई की जाए। यदि कोई भी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अथवा स्वास्थ्य कर्मी बिना पूर्व सूचना एवं अनुमति के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जायेंगे तो उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

12. सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि कोई भी पीड़ित परिवार अपने बच्चे को निजी वाहन से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचता है तो तुरंत उसे रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध निधि से प्रत्येक परिवार 400 रूपये उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध निधि को पूर्व से ही आहरित कर नकद राशि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उपलब्ध रखेंगे। यह भी निदेश दिया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध ए0ई0एस0 वार्ड को हमेशा तैयार अवस्था में रखेंगे, ताकि कोई भी मरीज आता है तो उसका ईलाज तुरंत किया जा सके।

13. मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत जो बड़े प्रखण्ड हैं जिसमें 20 से अधिक पंचायतें हैं वहां के लिए एक–एक अतिरिक्त परीक्षमान वरीय उप समाहर्ता की प्रतिनियुक्ति उप विकास आयुक्त करेंगे। उनका भी वहीं कर्तव्य होगा जो पूर्व से ए0ई0एस0 के प्रकोप से बचाव एवं रोकथाम हेतु प्रतिनियुक्त दल के पदाधिकारियों की होगी।

14. ए0ई0एस0 के प्रकोप से बचाव एवं रोकथाम हेतु प्रतिनियुक्त दल के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि आज से ही वे क्षेत्र को भ्रमण करेंगे और 2.00 बजे अपराह्न में प्रखण्ड मुख्यालय में सभी प्रखण्डस्तरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक निदेश उपलब्ध करायेंगे। साथ ही बैठक की कार्यवाही, उपस्थित पदाधिकारियों की हस्ताक्षरयुक्त उपस्थिति, उसका फोटोग्राफ्स आदि अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों/पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों की पंचायतवार टीम गठित कर तत्संबंधी कार्य आवंटन आदेश की प्रति भी अधोहस्ताक्षरी को आज ही संध्या 5.00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त टीम के द्वारा संबंधित पंचायत के एक–एक घर का सर्वेक्षण कराना अनिवार्य होगा।

15. जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि ए0ई0एस0/चमकी बुखार के रोकथाम एवं बचाव से संबंधित प्रखण्ड/पंचायतस्तर पर चलाये जा रहे जागरूकता अभियान एवं समस्त गतिविधियों का फोटोग्राफ्स एवं आवश्यक तथ्य प्रतिदिन इलेक्ट्रॉनिक मीडया एवं प्रिंट मीडिया को उपलब्ध कराते रहेंगे तथा उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे।

16. उपस्थित सभी पदाधिकारियों को जानकारी दी गई कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार का स्पष्ट निर्देश है कि जिला में उपलब्ध सभी संसाधन, मानवबल इस बीमारी के रोकथाम के लिए लगाया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही अथवा कोताही को गंभीरता से लेते हुए संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपात स्थित में सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय एवं तन्मयता के साथ काम करने की आवश्यकता है।

17. ए0ई0एस0 के प्रकोप से बचाव एवं रोकथाम हेतु प्रतिनियुक्त दल के पदाधिकारियों को एवं उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि उनके बच्चे भी इस बीमारी के प्रकोप के कारण मरे हैं तो

उनके आसपास के कम से कम 10 सदस्यों का बयान लिखित रूप से लें। साथ ही सभी आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त कर ही सहायता राशि हेतु प्रस्ताव देंगे।

18. उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर, अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि वे आपस में चार–चार प्रखण्ड को बांट लेंगे तथा उस प्रखण्ड में होने वाले सभी गतिविधियों का नियिमित रूप से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंग। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि वे भी प्रतिदिन प्रखण्ड का भ्रमण करेंगे तथा आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

19. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका, मुज0 को निदेश दिया गया कि ए0ई0एस0 से संबंधित बैनर, पैम्फलेट, हैण्डबिल आदि के साथ वे अपने संगठित समूह के माध्यम से सभी गाँवों में घर–घर जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करें।

20. अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि वे शहरी क्षेत्रान्तर्गत परिवारों को ए0ई0एस0 से बचाव एवं जागरूकता का कार्य करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–

**जिला पदाधिकारी**
**मुजफ्फरपुर।**

ज्ञापांक 1605 /गो0 दिनांक 20/06/19

**प्रतिलिपि :** उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/अधीक्षक/प्राचार्य, एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर/ प्रशासक, केजरीवाल, मुजफ्फरपुर/ए0ई0एस0 के प्रकोप से बचाव एवं रोकथाम हेतु प्रतिनियुक्त दल के पदाधिकारियों/चिकित्सा पदाधिकारियों/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी जिलास्तरीय कार्यालयों के नियंत्री पदाधिकारियों/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला मलेरिया पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सहायक निदेशक, जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग, मुजफ्फरपुर/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/ जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका, मुजफ्फरपुर/सभी परिक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/सभी अंचलाधिकारियों/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों, मुजफ्फरपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6/19

**जिला पदाधिकारी**
**मुजफ्फरपुर।**